

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019-24" की कंडिका-15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-2 तथा परिशिष्ट-6.2 के प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को अधिसूचित तथा क्रियान्वित किये जाने हेतु दिनांक 1 नवंबर, 2019 से "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019" निम्नानुसार लागू करता है :-

(1) परिचय :-

भारत सरकार द्वारा लागू एमएसएमडी एक्ट 2006 में परिभाषित एवं राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा सूक्ष्म उद्योगों को विशेष रूप से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने यह योजना लागू की गई है।

(2) नियम :-

यह नियम "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019" कहे जायेंगे।

(3) प्रभावशील तिथि :-

यह नियम दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रभावशील रहेंगे।

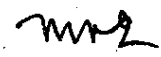
(4) परिभाषा :-

इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।

(5) पात्रता :-

(5.1) औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी के उद्योगों" को छोड़कर, केवल सूक्ष्म श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, सूक्ष्म श्रेणी के विद्यमान उत्पादनरत उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित शर्तों के पूर्ण होने पर) पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(5.2) सूक्ष्म श्रेणी के विद्यमान कार्यरत/उत्पादनरत उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण के फलस्वरूप यदि औद्योगिक इकाई की श्रेणी सूक्ष्म उद्योग से भिन्न श्रेणी



छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

// अधिसूचना //

नवा रायपुर, दिनांक 5 दिसंबर 2019

क्रमांक एफ 20-52/2019/11/6 : राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019-24" की कंडिका-15.1 में वर्णित तालिका के बिन्दु क्रमांक-2 तथा परिशिष्ट-6.2 के प्रावधानों के अनुरूप औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन को अधिसूचित तथा क्रियान्वित किये जाने हेतु दिनांक 1 नवंबर, 2019 से "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019" निम्नानुसार लागू करता है :-

(1) परिचय :-

भारत सरकार द्वारा लागू एमएसएमडी एक्ट 2006 में परिभाषित एवं राज्य में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्योगों की उत्पादन लागत कम करने, निजी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक अवसर सृजित करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने के लिए तथा सूक्ष्म उद्योगों को विशेष रूप से पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने यह योजना लागू की गई है।

(2) नियम :-

यह नियम "छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम-2019" कहे जायेंगे।

(3) प्रभावशील तिथि :-

यह नियम दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक प्रभावशील रहेंगे।

(4) परिभाषा :-

इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु वही परिभाषाएं लागू होंगी जो औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित हैं।

(5) पात्रता :-

(5.1) औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि दिनांक 01 नवंबर, 2019 से 31 अक्टूबर, 2024 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले "औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-4 में उल्लेखित संतृप्त श्रेणी के उद्योगों" को छोड़कर, केवल सूक्ष्म श्रेणी के नवीन उद्योगों की स्थापना, सूक्ष्म श्रेणी के विद्यमान उत्पादनरत उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण (औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में परिभाषित शर्तों के पूर्ण होने पर) पर अनुदान प्राप्त करने की पात्रता होगी।

(5.2) सूक्ष्म श्रेणी के विद्यमान कार्यरत/उत्पादनरत उद्योगों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण के फलस्वरूप यदि औद्योगिक इकाई की श्रेणी सूक्ष्म उद्योग से भिन्न श्रेणी



अर्थात् लघु, मध्यम, वृहद उद्योग, मेगा अथवा अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की श्रेणी में परिवर्तित होती है, तो अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

- (5.3) औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के विस्तार करने पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी, बशर्ते इनमें स्थायी पूंजी निवेश रु. 25 लाख से अधिक न हो।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

- (5.4) औद्योगिक/वाणिज्यिक उपयोग हेतु व्यपवर्तित भूमि पर कोल्ड स्टोरेज की नवीन स्थापना/पूर्व स्थापित कोल्ड स्टोरेज के विस्तार करने पर सामान्य उद्योग की भांति अनुदान की पात्रता होगी, बशर्ते ऐसे कोल्ड स्टोरेज की स्थापना/विस्तार के फलस्वरूप यंत्र संयंत्र/उपकरण में किया गया पूंजी निवेश सूक्ष्म सेवा उद्यम श्रेणी हेतु निर्धारित सीमा से अधिक न हो।

- (5.5) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका (21) के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा पृथक से परिभाषित-चिन्हित/घोषित उद्योग से संबंधित एमएसएमई सेवा उद्योगों के मामले में केवल सूक्ष्म सेवा उद्यमों को निर्धारित मात्रा अनुसार अनुदान की पात्रता होगी अर्थात् लघु, मध्यम श्रेणी के सेवा उद्यमों को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

- (5.6) यह आवश्यक है कि उद्योग/सेवा उद्यम में वाणिज्यिक उत्पादन अथवा सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 100 प्रतिशत, कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 70 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम 40 प्रतिशत रोजगार प्रदाय करना होगा।

- (5.7) पात्र औद्योगिक इकाईयों को इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक/वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक जो पश्चात्वर्ती हो, से एक वर्ष के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।

- (5.8) औद्योगिक नीति 2014-19 के अन्तर्गत उद्योग की स्थापना के लिए कार्यवाही आरंभ कर चुकी इकाईयों के मामले में औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.14 के अन्तर्गत प्रावधानित विकल्प संबंधी प्रावधानों की पूर्ति करने पर इस अधिसूचना के तहत स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता होगी।

- (5.9) राज्य की पूर्व नीतियों के अन्तर्गत मात्र स्टाम्प शुल्क छूट प्राप्त सूक्ष्म इकाईयों को दिनांक 1 नवम्बर, 2019 से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर, 2024 तक उत्पादन में आने पर, विकल्प चयन न करने की स्थिति में, इस अधिसूचना के तहत नियमानुसार अनुदान की पात्रता होगी।

- (5.10) औद्योगिक नीति 2019-24 की कालावधि में स्थापित होने वाले नवीन सूक्ष्म उद्योग अथवा विस्तार/शक्तीकरण करने वाले विद्यमान सूक्ष्म उद्योग यदि न्यूनतम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराये/पट्टे पर लिये गये पूर्व निर्मित भवन/शेड में स्थापित किये



जाते हैं, तो केवल यंत्र/संयंत्र पर किये गये स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान की पात्रता होगी, बशर्ते इकाई अन्य पात्रता संबंधी मापदण्डों की पूर्ति करती हो।

(5.11) यदि भारत सरकार/ राज्य शासन के अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/आयोग/वित्तीय संस्था/बैंक से स्थायी पूंजी निवेश अनुदान प्राप्त किया गया हो तो इस अधिसूचना के अधीन स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

(5.12) स्ववित्त पोषित उद्योगों को भी अनुदान की पात्रता होगी।

(5.13) राज्य शासन की किसी औद्योगिक नीति के अन्तर्गत अनुदान, छूट एवं रियायतों हेतु अपात्र उद्योग, जिनका उद्योग औद्योगिक नीति 2019-24 के अन्तर्गत विद्यमान उद्योग की परिभाषा में आता है व औद्योगिक नीति 2019-24 में संतृप्त (अपात्र उद्योग) श्रेणी के उद्योगों में सम्मिलित नहीं है, ऐसे विद्यमान उत्पादनरत् सूक्ष्म उद्योगों को विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण पर अनुदान की पात्रता होगी।

(6) अनुदान की मात्रा :-

(6.1) सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित पात्र सूक्ष्म उद्योगों को निम्नलिखित विवरण अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान देय होगा -

क्षेत्र की श्रेणी	सामान्य उद्योग		प्राथमिकता उद्योग		उच्च प्राथमिकता उद्योग	
	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)	स्थायी पूंजी निवेश पर अनुदान का प्रतिशत	अधिकतम सीमा (राशि रु. लाख में)
अ	20	10	30	14	35	15
ब	25	12	35	16	40	18
स	30	15	40	18	45	20
द	40	18	50	20	55	24

टीप- पूर्व उल्लेखित पात्रता संबंधी कंडिका क्र. 5.3 एवं 5.4 के अंतर्गत निर्धारित मापदण्ड के अनुसार स्थापित होने वाले कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) के प्रकरणों में उपरांकित तालिका अनुसार निर्धारित मात्रा/सीमा के अनुसार ही अनुदान देय होगा।

लॉजिस्टिक हब एवं वेयर हाउसिंग (गोदाम) की स्थापना के संबंध में राज्य शासन द्वारा लागू किये गये मापदण्डों का पालन अनुदान के प्रयोजन से अनिवार्य होगा।

(6.2) पात्र इकाईयों के विस्तार/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण के प्रकरणों में अनुदान की दर एवं अधिकतम सीमा, इस हेतु किये गये अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश पर उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार ही होगी।

(6.3) अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी।

WME

- (6.4) राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, राज्य के महिला स्व-सहायता समूह, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति/परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी।
- (6.5) स्थानीय संसाधन एवं कच्चामाल की उपलब्धता अनुसार ऊन पर आधारित उद्योग को उन्हीं जिलों में स्थापना को अधिक प्रोत्साहन के तहत औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका क्र. 5.2 एवं 5.3 में प्रावधानित जिले विशेष के लिए चिन्हांकित हर्बल, वनौषधि तथा लघु वनोपज एवं राज्य में उत्पादित फल, फूल, सब्जी एवं अन्य हार्टिकल्चर उत्पाद प्रसंस्करण उद्योगों, ऐसे स्थापित उद्योगों को भी इस नीति के अंतर्गत परिशिष्ट-2 के अनुक्रमांक-1 एवं 15 के अनुसार उच्च प्राथमिकता श्रेणी के उद्योगों हेतु निर्धारित अनुदान, छूट एवं रियायते पात्रता अनुसार प्राप्त होंगी।
- (6.6) औद्योगिक नीति 2019-24 की कंडिका 15.12 के अनुसार नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में स्थापित होने वाले सूक्ष्म उद्योगों को जो नवीन भू-आबंटन प्राप्त करते हैं, उपरोक्त तालिका (6.1) से 10 प्रतिशत अधिक दर से अनुदान प्राप्त होगा व अनुदान की सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी।
- (6.7) यदि कोई निवेशक कंडिका 6.3, 6.4, 6.5 एवं 6.6 श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत अतिरिक्त अनुदान की पात्रता होगी।
- (7) सूक्ष्म सेवा उद्यम हेतु अनुदान की मात्रा :-
- (7.1) भारत सरकार के द्वारा लागू एमएसएमडीई एक्ट 2006 में पारिभाषित निवेश सीमा के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा अधिसूचित सेवा उद्यम जो कि सूक्ष्म श्रेणी के अंतर्गत आवेंगे की स्थापना पर इन नियमों में वर्णित सामान्य उद्योग के समकक्ष स्थायी पूंजी निवेश अनुदान देय की पात्रता होगी, परन्तु इस हेतु उपरोक्त उद्यम के लिए जिले के जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के सक्षम प्राधिकारी से सेवा गतिविधि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। अनुदान मात्रा की गणना हेतु औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-7 में उल्लेखित अ एवं ब श्रेणी के विकासखण्डों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम निवेश रु. 15 लाख की सीमा तक तथा स एवं द श्रेणी के विकासखण्डों में संयंत्र एवं मशीनरी में अधिकतम रु. 25 लाख की सीमा तक मान्य होगा चाहे इकाई द्वारा अधिकतम निवेश की सीमा से अधिक निवेश किया गया हो।
- (7.2) अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशकों (एफ.डी.आई.), निर्यातक उद्योगों तथा विदेशी तकनीक के साथ परियोजनाएँ स्थापित करने वाले निवेशकों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी।



सेवा उद्यमों के मामले में भी उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी।

- (7.3) राज्य के अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग के उद्यमी, महिला उद्यमी, तृतीय लिंग, राज्य के महिला स्व-सहायता समूह, भारतीय सेना से सेवा निवृत्त राज्य के सैनिक एवं नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति / परिवार एवं निःशक्त उद्यमियों को अनुदान की दर व अधिकतम सीमा, उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 10 प्रतिशत अधिक अनुदान तथा अनुदान की अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक रहेगी।

सेवा उद्यमों के मामले में भी उपरोक्त तालिका (6.1) अनुसार सामान्य वर्ग के उद्यमियों को दिये जाने वाले अनुदान से 5 प्रतिशत अधिक अनुदान एवं अधिकतम सीमा भी 5 प्रतिशत अधिक रहेगी।

- (7.4) यदि कोई निवेशक कंडिका 7.2 एवं 7.3 श्रेणियों अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त अनुदान हेतु पात्र होता है तो उसे एक ही श्रेणी के तहत अनुदान की पात्रता होगी।

(8) – प्रक्रिया

- (8.1) पात्र इकाईयों को निम्नांकित आवश्यक दस्तावेजों (यथा स्थिति, जो लागू हों) के साथ विभागीय वेबसाइट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

- (1) उद्यम आकांक्षा / आई0ई0एम0 / औद्योगिक लायसेंस / आशय पत्र ।
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र ।
- (3) विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, प्रतिस्थापन अथवा शक्तीकरण से संबंधित प्रकरणों में, इस हेतु पूर्व में प्राप्त की गई अनुमति।
- (4) उपयोग में लाये जा रहे भू-खण्ड का व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु भू-व्यपवर्तन से संबंधित प्रमाणित दस्तावेज।
- (5) किराये/पट्टे पर लिये गये भूमि/भवन/शेड के मामलों में न्यूनतम 10 वर्ष हेतु निष्पादित किरायानामा/पट्टाभिलेख, जो स्वामित्व के मामलों में इकाई के स्वामी/इकाई के नाम पर तथा भिन्न प्रकरणों इकाई/कंपनी के नाम पर निष्पादित हो।
- (6) स्थानीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित भवन मानचित्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- (7) कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आने की स्थिति में अनुमोदित ले-आउट एवं फैक्ट्री लाईसेंस।
- (8) पर्यावरणीय सम्मति पत्र/अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- (9) निवेशक के वर्ग से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र ।
- (10) उच्च प्राथमिकता अथवा प्राथमिकता श्रेणी का उद्योग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।

- (11) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का "उपाबंध 2" पर निर्धारित प्रारूप में निवेश से संबंधित प्रमाण पत्र।
 - (12) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत किये गये निवेश की मदवार व तिथिवार सूची, उपाबंध-3 अनुसार।
 - (13) उपाबंध-1 के प्रारूप पर शपथ पत्र।
 - (14) स्वामित्व के प्रकरणों में इकाई स्वामी का तथा भिन्न प्रकरणों में इकाई के पेन कार्ड की प्रति।
- (8.2) अपूर्ण/त्रुटिपूर्ण आवेदन की स्थिति में, प्रकरण में कमियाँ एक साथ बताते हुए वापिस किये जायेंगे तथा उपरांकित बिन्दु क्र. 8.1 में वर्णित आवश्यक दस्तावेजों (यथास्थिति जो लागू हो) के अतिरिक्त किसी अन्य अभिलेख की आवश्यकता होने पर उसकी प्रति निरीक्षण के समय प्राप्त की जावेगी।
- (8.3) मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण का सूक्ष्म परीक्षण कर तथा स्थल निरीक्षण प्रबंधक/ सहायक प्रबंधक से करा कर अपने अभिमत के साथ अनुदान की पात्रता संबंधी अनुशंसा जिला स्तरीय समिति को प्रेषित किये जावेंगे।
- (8.4) राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये गये रोजगार की सत्यापन प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा-रा/2005/9766-81, दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जायेगी।
- (8.5) जिला स्तरीय समिति से प्रकरण स्वीकृत होने के निर्णय उपरांत अनुदान स्वीकृति से संबंधित आदेश/सूचना पत्र ऑनलाईन अपलोड कर, निर्णय की सूचना पृथक से ई-मेल द्वारा भी दी जावेगी। स्वीकृत किये गये प्रकरणों हेतु इस सूचना पत्र में यह स्पष्ट रूप से लेख होगा कि सूचना पत्र के साथ संलग्न अनुबंध के प्रारूप अनुसार अनुबंध का निष्पादन व पंजीयन कराकर मूल प्रति, सूचना जारी दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत की जावें एवं पंजीकृत मूल प्रति प्राप्त होने के उपरांत ही अनुदान-स्वीकृति आदेश मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किया जावेगा व अनुदान का वितरण अनुदान स्वीकृति के क्रम में होगा। भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत निगमित किसी प्रायवेट/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पक्ष में अनुदान स्वीकृत किया जाता है तो कंपनी के संचालक मण्डल द्वारा पारित संकल्प की प्रति भी अनुबंध के साथ लगाकर पंजीकृत की जावेगी।

विभाग की ओर से मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुबंध निष्पादित किया जावेगा एवं औद्योगिक इकाई की ओर से स्वामी/साझेदार/संचालक/अधिकृत प्रतिनिधि (यथा स्थिति जो लागू हो) के द्वारा अनुबंध निष्पादित होगा।

- (8.6) इन नियमों के अंतर्गत किसी इकाई द्वारा प्रस्तुत प्रकरण निरस्तीकरण योग्य होने की स्थिति में, जिला स्तरीय समिति के समक्ष इकाई को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण पर निर्णय लिया जावेगा।

अनुदान आवेदन के निरस्त होने पर सदस्य सचिव द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा जिसमें प्रकरण के निरस्तीकरण का संक्षिप्त विवरण दर्ज किया

जाएगा। आवेदनकर्ता को यह भी संसूचित कराया जाना आवश्यक होगा कि यदि निरस्तीकरण आदेश से असंतुष्ट है तो ऐसी स्थिति में निर्धारित समयावधि 45 दिवसों में इन नियमों के तहत निर्धारित सक्षम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकती है।

समिति के निर्णय हेतु जिला स्तरीय समिति उत्तरदायी होगी, सदस्य सचिव अकेला उत्तरदायी नहीं होगा। सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि वह अधिसूचना के अधीन समस्त तथ्यों तथा अन्य संबंधित बिन्दुओं पर विस्तृत टीप एवं अभिमत को समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत करें।

- (8.7) अनुबंध के निष्पादन व पंजीयन के उपरांत जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों के पक्ष में जारी प्रकरण स्वीकृति अनुक्रमांक एवं दिनांक के क्रम में किया जावेगा।
- (8.8) उद्योग संचालनालय द्वारा स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के बजट का आबंटन अनुदान विभिन्न जिलों से प्राप्त स्वीकृति क्रम के आधार पर एवं बजट उपलब्धता के आधार पर किया जावेगा।
- (8.9) अनुदान राशि का वितरण संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आबंटन उपलब्ध होने पर संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक को अनुदान की राशि सीधे औद्योगिक इकाई के सावधि ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट)/एनईएफटी प्रणाली अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की प्रणाली अनुसार प्रेषित की जावेगी। जिसे संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा। अनुदान की राशि नगद में नहीं दी जायेगी। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा अनुदान का वितरण औद्योगिक इकाइयों को अनुदान स्वीकृति के दिनांक के क्रम में किया जावेगा। केवल मूल सावधि ऋण का पूर्ण भुगतान की स्थिति में यदि मूल सावधि ऋण खाता बंद हो जाता है तो इकाई के अन्य किसी खाते में अनुदान राशि उपरोक्तानुसार जमा की जा सकेगी। अन्य कारणों से मूल सावधि ऋण खाता बंद होने की स्थिति में इकाई के अन्य किसी खाते में अनुदान राशि जमा कराया जाना अनुमत नहीं होगा।
- (8.10) बजट आवंटन के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

(8.11) समिति का स्वरूप :-

(अ) जिला स्तरीय समिति :-

- | | |
|--|---------|
| 1- आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा नामांकित अपर संचालक/संयुक्त संचालक | अध्यक्ष |
| 2- उपायुक्त वाणिज्यिक कर अधिकारी, अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी | सदस्य |
| 3- लीड बैंक अधिकारी | सदस्य |
| 4- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि. (जो राज्य शासन उद्योग विभाग के न्यूनतम उप संचालक स्तर का अधिकारी हो) | सदस्य |



- 5- मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग या उनके द्वारा नामित अधिकारी जो न्यूनतम सहायक अभियंता स्तर के हो सदस्य
- 6- मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र सदस्य सचिव

(ब) राज्य स्तरीय समिति :-

- 1- आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय अध्यक्ष
- 2- अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर सदस्य
- 3- प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पो. लि. या उनके द्वारा नामांकित अधिकारी जो कार्यपालक संचालक स्तर का हो सदस्य
- 4- महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक आंचलिक कार्यालय, रायपुर सदस्य
- 5- अपर संचालक/ संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय सदस्य सचिव

जिला स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति 4 से होगी तथा राज्य स्तरीय समिति के लिये गणपूर्ति-3 से होगी ।

(स) राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी :-

राज्य स्तरीय समिति के द्वारा लिये गये किसी निर्णय के विरुद्ध छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के भारसाधक सचिव के समक्ष अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी को यह भी अधिकारी होगा कि वे जिला स्तरीय तथा राज्य स्तरीय समिति के द्वारा स्वीकृत/अस्वीकृत किसी प्रकरण के अभिलेख आहूत कर सकेंगे तथा लिये गये निर्णय की समीक्षा कर सकेंगे।

(द) योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति के सदस्य सचिव के दायित्व निम्नानुसार होंगे :-

- (1) योजना के अर्न्तगत प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार परीक्षण/निरीक्षण कर समिति से प्रकरणों का निराकरण 90 दिवस की समय सीमा में करवाना ।
- (2) योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक 03 माह में बैठक का आयोजन करना, बैठक का एजेन्डा तैयार करना, कार्यवाही विवरण तैयार कर अनुमोदन कराना व सदस्यों को प्रेषित करना।
- (3) योजना से संबंधित लेखों का संधारण, राज्य शासन के वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित करना व स्वत्वों के भुगतान के संबंध में आडिट आपत्तियों का निराकरण करना ।
- (4) जिला स्तरीय समिति की बैठकों/ निर्णयों की जानकारी मासिक प्रतिवेदन के रूप में अग्रेषित करना ।
- (5) सदस्य सचिव का यह भी दायित्व होगा कि वह समिति के समक्ष समिति की बैठक की निर्धारित तिथि के 15 दिवस पूर्व तक के समस्त प्रकरणों को पंजीयन क्रमांक वार समिति के समक्ष रखे, प्रकरणों का निराकरण कराये एवं निर्णय से



औद्योगिक इकाईयों को अवगत कराना तथा समिति के निर्णय का क्रियान्वयन तत्परता से सुनिश्चित करना।

(इ) योजना के क्रियान्वयन हेतु जिला स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :-

- (1) समक्ष के समक्ष रखे गये आवेदनों को स्वीकृत अथवा निरस्त करने का अधिकार।
- (2) निर्धारित समय सीमा के पश्चात् विलंब से प्राप्त आवेदनों के संबंध में 3 माह तक के विलंब को इकाई को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा, किन्तु विलंब स्वीकृत करने के विषय में स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा, जिसे आदेश में लिपिबद्ध भी किया जायेगा।
- (3) प्रकरण के निराकरण के प्रयोजन से समिति संबंधित किसी भी बिन्दु/मद के संबंध में अतिरिक्त जानकारी/दस्तावेज संबंधित इकाई से प्राप्त करने का अधिकार।

(फ) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय समिति को निम्नानुसार शक्तियां प्राप्त होगी :-

- 1- अधिसूचना के अधीन अनुदान योजना के क्षेत्र तथा उसके लागू होने के संबंध में जिला स्तरीय समिति को निर्देश देना।
- 2- समिति स्वप्रेरणा से या संदर्भित किये जाने पर, अपने स्वयं के निर्णय का या जिला स्तरीय समिति के निर्णय की समीक्षा/सुनवाई कर सकेगी, किन्तु निर्णय के पूर्व संबंधित पक्षकार को अपना पक्ष रखने के लिये सुनवाई का अवसर अवश्य प्रदान किया जावेगा।
- 3- जिला स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी निर्णय के विरुद्ध की गयी अपील पर राज्य स्तरीय समिति सुनवायी कर निर्णय लेगी।
- 4- आवेदन प्रस्तुत करने में 3 माह से 6 माह तक के विलंब को सुनवाई कर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विलंब शिथिल करने का अधिकार होगा। किन्तु विलंब स्वीकृत करने के विषय में स्पष्ट आदेश पारित किया जाना आवश्यक होगा, जिसे आदेश में लिपिबद्ध भी किया जायेगा।
- 5- नियंत्रण से परे कारणों के कारण उद्योग बंद हो जाने अथवा योजना से संबंधित कोई अन्य बिंदु जिसका अधिसूचना में उल्लेख नहीं है, पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

(9) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की गणना एवं वितरण की प्रक्रिया

- (9.1) नवीन इकाईयों के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना में उद्यम आकांक्षा दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक तक परियोजना के मदों में किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा।



(9.2) विद्यमान इकाईयों के विस्तारीकरण/प्रतिस्थापन/शक्तीकरण के प्रकरणों में स्थायी पूंजी निवेश की गणना में इस हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र से प्राप्त की गई अनुमति दिनांक से स्थल पर परियोजना का कार्य प्रारंभ करते हुए इसके अन्तर्गत वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश को शामिल किया जावेगा।

(9.3) औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 के बिन्दु 18 के अनुसार "स्थायी पूंजी निवेश" से आशय है कि नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योगों का शक्तीकरण/विस्तारीकरण (जो लागू हो) हेतु भूमि/भूमि-विकास, शेड-भवन निर्माण, नवीन प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति एवं बाउन्ड्रीवाल निर्माण पर किये गये निवेश।

परन्तु, प्रतिस्थापन के प्रकरणों में यह आवश्यक होगा कि सूक्ष्म औद्योगिक इकाई के मामले में औद्योगिक नीति 2019-24 के नियत दिनांक को अथवा उसके पश्चात् विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा अपने मूल प्लांट एवं मशीनरी मद में निवेशित पूंजी का न्यूनतम 125% निवेश, बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना अनुसार, पूंजी निवेश कर पुरानी मशीनों को प्रतिस्थापित किया जाता है एवं कुल रोजगार में 10% की वृद्धि होती हो तो उन्हें वर्तमान नीति की अवधि में उत्पादन होने पर स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत निवेशित राशि के 50% तक की सीमा में छूट की पात्रता होगी। इस हेतु प्रतिस्थापन हेतु प्रस्तावित मशीनों को न्यूनतम 15 वर्ष पुराना होना चाहिये। साथ ही आयकर विवरणी में उनकी कीमत 20% से कम होना चाहिये (After Depreciation) तथा इकाई पूर्व अवधि में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार DPR में उल्लेखित पूर्ण क्षमता तक कार्यरत रही हो। यह भी आवश्यक होगा कि इकाई द्वारा दिनांक 01.10.2019 के पश्चात् प्रतिस्थापन के लिए अभिस्वीकृति प्राप्त करें। साथ ही दिनांक 31 अक्टूबर, 2024 तक अथवा इसके पूर्व उत्पादन प्रारंभ करना होगा।

प्रतिस्थापन के प्रकरणों में, गणना के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि इकाई द्वारा प्लांट, मशीनरी के प्रतिस्थापन हेतु यदि रु. 20 लाख का निवेश किया गया है, ऐसी स्थिति में उसे रु. 20 लाख के 50 प्रतिशत अर्थात् रु. 10 लाख को इन नियमों के अंतर्गत स्थायी पूंजी निवेश मान्य कर पात्रता अनुसार अनुदान देय होगा।

(9.3.1) "भूमि मूल्य" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शक्तीकरण हेतु क्रय या पट्टे पर ली गई भूमि के भुगतान मूल्य से है तथा इसमें सम्मिलित है- भूमि का वास्तविक क्रय मूल्य/भू-प्रब्याजि तथा भुगतान किये गये स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क की राशि। भू-प्रब्याजि से आशय है भू आबंटन अधिकारी को आबंटित भूमि हेतु भुगतान की गई राशि (भू-भाटक, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य कर- उपकरणों को छोड़कर)

टीप- भूमि पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।

(9.3.2) "शेड-भवन" के मूल्य से आशय है और इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में भूमि पर निर्मित फैक्ट्री भवन, शेड, प्रयोगशाला भवन, अनुसंधान भवन, प्रशासकीय भवन, श्रमिक विश्राम कक्ष, सिक्युरिटी पोस्ट एवं माल गोदाम के निर्माण पर किया गया व्यय।

टीप- 1. शेड-भवन क्रय किये जाने की स्थिति में क्रय विलेख पर दर्शित मूल्य, बशर्ते ऐसे शेड-भवन पर पूर्व में कोई अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

2. शेड-भवन पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में पट्टे की अवधि न्यूनतम 10 वर्ष की होना आवश्यक है।

3. शेड-भवन क्रय/पट्टे पर लिये जाने की स्थिति में उसके मरम्मत/उन्नयन पर किये गये व्यय को अनुदान की गणना में शामिल नहीं किया जावेगा।

(9.3.3) "विद्युत आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/ विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण के लिए विद्युत की व्यवस्था करने हेतु विद्युत संयोजन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञा प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी अथवा निजी कम्पनी को भुगतान की गयी राशि से है।

टीप : (1) भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपोजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(9.3.4) "जल आपूर्ति निवेश" से आशय है नवीन उद्योग की स्थापना/विद्यमान उद्योग के विस्तारीकरण/शवलीकरण के लिए औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में औद्योगिक उत्पाद हेतु आवश्यक जल आपूर्ति पर किया गया निवेश बशर्ते कि शासन के संबंधित प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो। इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपोजिट एवं औद्योगिक इकाई के पुराने देयकों व दैनिक उपयोग/ पेय व्यवस्था हेतु व्यय की राशि सम्मिलित नहीं की जायेगी।

(9.3.5) "प्लांट एवं मशीनरी" से आशय है एवं इसमें सम्मिलित है औद्योगिक इकाई के उद्योग परिसर में स्थापित नवीन प्लांट एवं मशीनरी, प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयोगशाला एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपकरण, अनुसंधान हेतु संयंत्र एवं उपकरण, परीक्षण उपकरण एवं उनकी स्थापना व परिवहन पर किये गये पूंजी निवेश/व्यय से है (इसमें पूर्व इकाई से क्रय की गई प्लांट एवं मशीनरी में खर्च की गई राशि शामिल नहीं होगी)।

(9.4) बजट आबंटन की उपलब्ध के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का भुगतान एक मुश्त अथवा आंशिक रूप से किया जा सकेगा तथा शेष अनुदान राशि का भुगतान आगामी बजट आबंटन प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

(9.5) किसी वित्तीय वर्ष में अनुदान का आंशिक वितरण होने पर आगामी वर्षों में उद्योग में उत्पादन बंद कर देने पर या अनुबंध की किसी बिन्दु का उल्लंघन करने पर अनुदान शेष वितरण तब तक नहीं किया जावेगा जब तक कि उद्योग प्रारंभ न हो जावे/कंडिका का उल्लंघन दूर न कर लिया जावे।

(9.6) जिन औद्योगिक इकाईयों को मार्जिनमनी अनुदान वितरित हुआ है, वितरित राशि स्थायी पूंजी निवेश अनुदान में कम कर अनुदान का वितरण किया जायेगा।



(10) अपील / वाद

- (10.1) औद्योगिक इकाई द्वारा जिला स्तरीय समिति के किसी आदेश के विरुद्ध राज्य स्तरीय समिति को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय समिति के समक्ष अपील करने हेतु उद्योग आयुक्त/ संचालक, उद्योग संचालनालय के कार्यालय में अपील की जा सकेगी। राज्य स्तरीय समिति द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आदेश संसूचित किये जाने की तिथि से 45 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत की जा सकेगी। राज्य स्तरीय अपीलीय प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अपील तथा अपील किये जाने में यदि कोई विलंब हो तो उसे शिथिल करने के संबंध में गुण-दोष के आधार पर निर्णय ले सकेगा, किन्तु ऐसा विलंब शिथिल करने का आदेश निर्णय संसूचित होने के पश्चात किसी भी स्थिति में 03 माह से अधिक नहीं होगा।
- (10.2) प्रत्येक स्तर पर अपील शुल्क रुपये 1000 (यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान विभागीय प्राप्ति शीर्ष में चालान के माध्यम से करने पर ही अपील ग्राह्य होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा।
- (10.3) राज्य स्तरीय समिति को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये 03 माह तक के विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण-दोष के आधार पर विचार/व्याख्या कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। समिति द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा।
- (10.4) प्रकरण पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय समिति द्वारा संबंधित को दी जावेगी।
- (11) अनुदान प्राप्त औद्योगिक इकाई का दायित्व :-**
- (11.1) औद्योगिक इकाई को अनुदान के प्रथम वितरण दिनांक के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक उद्योग चालू रखना होगा।
- (11.2) अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् पांच वर्ष तक आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की लिखित पूर्वानुमति के बिना इकाई के फैक्ट्री स्थल/गतिविधि में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इकाई का कोई भाग अन्यत्र स्थानांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा ना ही स्वामित्व का आंशिक/पूर्ण परिवर्तन किया जा सकेगा तथा इकाई के स्थायी परिसम्पतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
- (11.3) अनुदान स्वीकृति के उपरांत भी अकुशल, कुशल तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये गये रोजगार का बिन्दु क0 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) को वाणिज्यिक उत्पादन/ सेवा गतिविधि प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि तक बनाये रखना होगा।



(12) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की वसूली

स्थायी पूंजी निवेश अनुदान की राशि की निम्न परिस्थितियों में वसूली योग्य होगी—

- (12.1) औद्योगिक इकाई के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात् यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गए है/ गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।
- (12.2) औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 5.6 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।
- (12.3) यदि औद्योगिक इकाई द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित स्थायी जाति प्रमाण-पत्र/निःशक्ता से संबंधित प्रमाण-पत्र/सेवा-निवृत्त सैनिक से संबंधित प्रमाण-पत्र/नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रमाण-पत्र /अप्रवासी भारतीय/प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक (एफ.डी.आई.), निर्यातक, विदेशी तकनीक से संबंधित प्रमाण पत्र, महिला उद्यमी, महिला स्व-सहायता समूह आदि से संबंधित प्रमाण-पत्र/ अभिलेख/घोषणा पत्र गलत पाया जाता है तो इस वर्ग के उद्यमियों को दी गई अतिरिक्त/ आधिक्य अनुदान की राशि वसूली योग्य होगी ।
- (12.4) उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा कोई जानकारी मांगे जाने पर औद्योगिक इकाई द्वारा न दी जाये ।
- (12.5) यदि औद्योगिक इकाई अधिसूचना में निहित दायित्वों की पूर्ति न करें।
- (12.6) यदि औद्योगिक इकाई को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गयी हो ।
- (12.7) उपर्युक्त बिन्दु 12.1 से 12.6 के अनुसार यथास्थिति निरस्तीकरण/अधिक दिये गये अनुदान की राशि की वसूली के आदेश, जिला स्तरीय समिति की ओर से सदस्य सचिव द्वारा जारी किये जायेंगे । ऐसे आदेश के अनुसार वसूली योग्य राशि पर, 12 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अधिरोपित कर वसूली की जायेगी ।
- (12.8) वसूली की राशि भू- राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य की जा सकेगी ।

(13) स्वप्रेरणा से निर्णय :-

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग/राज्य स्तरीय समिति इन नियमों के तहत आवेदित/स्वीकृत प्रकरणों के किसी भी अभिलेख को बुला सकें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें परिवर्तन के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

- (14) योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ सक्षम होंगे। अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा।



- (15) इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।
- (16) नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।
- (17) योजना का क्रियान्वयन
योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ एवं उसके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(मनोज कुमार पिंगुआ)

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

// शपथ पत्र //

- 1- यह शपथपूर्वक घोषित किया जाता है कि :-
 - 1.1 औद्योगिक नीति 2019-24 एवं छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2019 का पूर्णतः अध्ययन कर लिया है एवं इसके सभी प्रावधानों का पालन औद्योगिक इकाई द्वारा किया जावेगा ।
 - 1.2 आवेदन पत्र में दी गई जानकारी एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख पूर्ण रूप से सही है
- 2- उद्योग में अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः न्यूनतम 100 प्रतिशत, 70 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत रोजगार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से अनुदान प्राप्ति दिनांक तक व अनुदान प्राप्ति के पश्चात् न्यूनतम पांच वर्षों तक राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।
- 3- भारत सरकार/राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/बोर्ड/मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/बैंक को स्थायी पूंजी निवेश से संबंधित अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।
या
भारत सरकार/ राज्य शासन के किसी अन्य विभाग/निगम/ बोर्ड/ मंडल/ आयोग/ वित्तीय संस्थाओं/ बैंक को स्थायी पूंजी निवेश अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान स्वीकृत है/वितरित है ।
- 4- उद्योग उत्पादनरत् व कार्यरत् है।
- 5- यह कि मेरी/हमारी इकाई की स्थापना/संचालन हेतु केन्द्र सरकार/ राज्य शासन के द्वारा लागू किये गये नियम/दिशा-निर्देश (जो लागू हो) के अनुसार आवश्यकता होने पर वांछित अनुज्ञप्ति/सम्मति/अनापत्ति संबंधित विभाग/संस्था/निकाय के सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लिये गये हैं।
- 6- उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण / मिथ्या पाये जाने पर, अन्यथा किसी भी शपथ का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि नियमानुसार निर्धारित ब्याज के साथ 30 दिवसों की अवधि में वापस कर दी जावेगी।

औद्योगिक इकाई के अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
दिनांक



नियम 7.1 (11)
(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण-पत्र)
(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

1- औद्योगिक इकाई
जिसका पंजीकृत पता है व फैक्ट्री
में स्थित है, जिसका उद्यम आकांक्षा क्र. दिनांक
एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक दिनांक है।
जिसके अनुसार वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक है, में उद्योग
आकांक्षा / विस्तार / शक्तीकरण / प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त अनुमति की तिथि (जो लागू हो)
से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया
स्थायी पूंजी निवेश एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से छः माह की अवधि
समाप्त होने की दिनांक तक किया गया स्थायी पूंजी निवेश निम्नानुसार रूपये
..... (अक्षरों में) है, जिसका मदवार विवरण
निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन औद्योगिक इकाई के लेखा पुस्तको/बिल
बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान के पश्चात् किया गया है:-

क्र०	विवरण	उद्योग आकांक्षा / विस्तार / शक्तीकरण / प्रतिस्थापन हेतु प्राप्त अनुमति की तिथि (जो लागू हो) से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक के पश्चात् छः माह की अवधि समाप्त होने की दिनांक तक किया गया मान्य स्थायी पूंजी निवेश (रूपयों में)	कुल निवेशित राशि (3+4)
1.	2.	3.	4.	5.
(1)	1.1 भूमि - अ- भूखण्ड का क्षेत्रफल ब- वास्तविक कय मूल्य / भू-प्रब्याजि स- मुद्रांक शुल्क द- पंजीयन शुल्क 1.2 भूमि विकास - योग			
(2)	शेड-भवन - 1 फैक्ट्री भवन 2 शेड 3 प्रयोगशाला भवन 4 अनुसंधान भवन 5 प्रशासकीय भवन 6 श्रमिक विश्राम कक्ष			

mm2

	7 सिक्कुरिटी पोस्ट 8 माल गोदाम योग			
(3)	प्लांट एवं मशीनरी – 1 प्लांट एवं मशीनरी 2 प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र प्रयोगशाला एवं अनुसंधान में प्रयुक्त संयंत्र एवं उपकरण 3 परीक्षण उपकरण 4 मशीनरी स्थापना संबंधी व्यय 5 मशीनरी परिवहन संबंधी व्यय योग			
(4)	विद्युत आपूर्ति निवेश – छ0ग0 राज्य विद्युत मंडल/विद्युत वितरण की निजी कम्पनी को किया गया भुगतान (सिक्कुरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
(5)	जल आपूर्ति निवेश – औद्योगिक उपयोग हेतु उद्योग परिसर में आवश्यक जल आपूर्ति की व्यवस्था पर किया गया निवेश (सिक्कुरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)			
	योग			

टीप:-प्रतिस्थापन के प्रकरणों में औद्योगिक नीति 2019-24 के परिशिष्ट-1 में उल्लेखित परिभाषाओं के सरल क्र-34 की शर्तों के परिपालन के संबंध में पृथक से दस्तावेज, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सत्यापित, जमा किये जायेंगे।

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउंटेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

Wm2

नियम 7.1 (12)
स्थायी पूंजी निवेश के अन्तर्गत निवेश की सूची

शीर्ष – भूमि, शेड-भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता तथा जी.एस. टी. क्रमांक	विवरण (जिस मद में निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक / चालान क्रमांक	राशि

(1)
स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— आवेदक इकाई का नाम व पता

(2)
स्थान— हस्ताक्षर
दिनांक— नाम व पता सील
चार्टर्ड एकाउण्टेंट क्रमांक व दिनांक

- टीप:- 1- सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
2- सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट द्वारा किया जाये ।
3- निवेश / व्यय शीर्ष हेतु पृथक-पृथक सूची प्रस्तुत की जावे- जैसे भूमि, शेड भवन, प्लांट एवं मशीनरी, विद्युत आपूर्ति निवेश, जल आपूर्ति निवेश आदि
4- सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेंट के हस्ताक्षर युक्त हो ।

mmg

(नियम 7.4)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

स्थायी पूंजी अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक
दिनांक द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान
नियम 2019 के नियम क्रमांक “7.10” के तहत गठित राज्य स्तरीय समिति / जिला स्तरीय
समिति की बैठक दिनांक में दी गयी स्वीकृति व छत्तीसगढ़
राज्य स्थायी पूंजी निवेश अनुदान नियम 2019 की कंडिका 7.4 में प्राप्त अधिकारों के अधीन
निम्नानुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की
जाती है ।

- 1- औद्योगिक इकाई का नाम व पता :
 - 2- इकाई का स्वरूप :
(नवीन/ विस्तार/ शक्तीकरण/ प्रतिस्थापन)
 - 3- उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता—
 - 4- वाणिज्यिक उत्पादन/सेवा गतिविधि प्रारंभ करने का दिनांक
 - 5- औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल—
(स्थान, विकास खंड व जिला)
 - 6- अनुमोदित स्थायी पूंजी निवेश —
 - 7- स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)
- (2) यह राशि वित्तीय वर्ष— के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी —
.....
- (3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त
कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश
निरस्तीकरण योग्य होगा ।

मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक/
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र
एवं
सदस्य सचिव
जिला स्तरीय समिति

